

प्रहोदयजी,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उत्पन्न माय्याकट, मर्कशीट के नाम मुकेश कुमार भील पुत्र प्यारा नि. गोलवाड़ा दर्ज है। जमावर्दी ग्राम - राहमी के खाता संख्या-44, 45 पर प्रार्थी का नाम हीरा पुत्री प्यारा दर्ज है। अतः हीरा उर्फ मुकेश कुमार पुत्र प्यारा भील दर्ज किया जाना उचित है।

भू.अ.नि.
R.I. मावली
25/7/2024

पटवारी लवल
पटवार मण्डल-गादोली / गोलवाड़ा
तहसील-मावली, जिला-उदयपुर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रहोदयजी,

निवेदन है कि भू. अ. नि. मावली एवं पटवारी तहसील - गोलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि की अनुशंसा की जाती है।

26/7/24
तहसीलदार (भू.अ.) मावली

प्रकरण संख्या - 79/24
निर्गम दिनांक - 29/07/2024

आदेश

प्रार्थी मुकेश कुमार पिता प्यारा भील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम मौजा राहमी पटवार तहसील गोलवाड़ा की खाता सं. 44, 45 में नाबालिग हीरा पुत्री प्यारा के बजाय हीरा उर्फ मुकेश कुमार पिता प्यारा संशोधन किया जाने का निवेदन किया। पटवारी तहसील गोलवाड़ा व तहसीलदार मावली द्वारा नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

अतः पटवारी गोलवाड़ा एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज के आधार पर नाम संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा राहमी पटवार तहसील गोलवाड़ा की खाता सं. 44, 45 में प्रार्थी का नाम नाबालिग शुद्ध हीरा पुत्री प्यारा के बजाय हीरा उर्फ मुकेश कुमार पिता प्यारा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तहसील, मावली, उदयपुर